...यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा – पत्र

उनवान

कैलाश बाई बनाम बद्री लाल

किस्म मुकदमा धारा 223 मि. नं. 301/2012 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री बृजराज किशोर शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-4-2021	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 11-9-2019 से यह जानकारी में आया कि प्रस्तुत अपील में बाबत निर्णय दिनांक 16-9-2019 तारीख पेशी नियत की गई थी परन्तु यह भी जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31-08-2012 के विरुद्ध बाबूलाल बनाम कैलाश बाई व अन्य ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसकी संख्या 320/2012 है। इस अपील का निर्णय भी दिनांक 16-9-2019 को किया जाकर अपील खारिज कर दी गई है। एवं उक्त जेरकार अपील भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2012 के विरुद्ध पेश की गई है ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-8-12 के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त अपील संख्या 301/2012 में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: यह अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाती है एवं अपील संख्या 320/2012 बउनवान बाबूलाल बनाम कैलाशबाई के निर्णय दिनांक 16-9-2019 की प्रमाणित प्रति उक्त अपील संख्या 301/2012 के साथ संलग्न की जाय। पत्रावली कैंसल शुमार होकरबाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 320 / 2012 दायरा दिनांक : 31.10.2012

उनवान

1— बाबूलाल पुत्र श्री अमरा दत्तक पुत्र नैनगा, आयु 70 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कैलाश बाई पत्नी श्री बिहारी लाल, आयु 56 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

2— रामगोपाल पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 35 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

[illegible]प्पू पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 32 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

4— राम बहादुर पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 29 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

5— कालू लाल पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 26 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां अविवाहित फौत

6— नन्दकिशोर पुत्र श्री अमरा, आयु 60 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

7— कान्ती बाई पत्नी श्री मथुरा लाल पुत्री किशनलाल, आयु 45 साल, जाति मीणा, निवासी विनोदखुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा

8— बिरधी बाई पत्नी श्री भैरूलाल पुत्री किशनलाल, आयु 50 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू, जिला बारां

T.C.

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9– बद्रीलाल पुत्र श्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

9/1– तोलाराम पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

9/2– हजारी लाल पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

9/3– दानमल पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

9/4– सुमित्रा पुत्री बद्रीलाल पत्नी श्री , जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : **16.09.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 65/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां में

T.C.

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 3.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0. 11 हेक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.77 हेकटर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 हेक्टर कुल 15 किता कुल रकबा 7.31 हेक्टर आराजी दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण 4 व 5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा व हक है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है । वादग्रस्त आराजी सम्वत 2045 – 48 की जमाबंदी में अमरा व किशनलाल पुत्र गणेश मीणा के नाम समान हिस्सा दर्ज थी । अमरा की मृत्यु उपरान्त मृतक अमरा के हक व हिस्से की आराजी फौती इंतकाल नम्बर 80 से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व उनकी माता मृतक भगुली के नाम खाते दर्ज हुई । किशनलाल की मृत्यु उपरान्त किशनलाल के हक व हिस्से की आराजी वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण 4 व 5 के नाम जरिये फौती इंतकाल नम्बर 54 से दर्ज हुई । इंतकाल नम्बर 54 से मृतक किशनलाल के हक व हिस्से पर मृतक बिहारीलाल के साथ पुत्रियां बिरधी बाई व शान्तिबाई का नाम खाते गलत दर्ज कर दिया । वादीगण व प्रतिवादीगण जाति से मीणा हैं । मीणा जाति में पुत्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है, इस कारण इंतकाल नम्बर 54 विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं शून्य है । मृतक किशनलाल के सम्पूर्ण हक व हिस्से पर उनकी मृत्यु उपरान्त से ही वादीगण के पिता बिहारीलाल क़ाबिज काश्त रहे हैं । बिहारीलाल का दिनांक 12.06.2005 को देहान्त होने पर इंतकाल नम्बर 238 से वादीगण के खाते में आराजी दर्ज रेकार्ड हुई । वादीगण इंतकाल नम्बर 54 को निरस्त करवाकर विवादित

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

T.C.

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी में 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं । पूर्व खातेदारान मृतक अमरा व किशनलाल ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा कर लिया था । इसमें मृतक किशनलाल को खसरा नम्बर 42 रकबा 3.16 हेक्टर में से उत्तर दिशा की 1.35 हेक्टर आराजी व खसरा नम्बर 329 रकबा 0.84 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 1.46 हेक्टर कुल 3.65 हेक्टर आराजी हिस्से में मिली । अपने जीवनकाल तक मृतक किशनलाल व बिहारीलाल अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे, उसकी मृत्यु उपरान्त से वादीगण उक्त हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, शेष आराजियात मृतक अमरा के हक एवं हिस्से में रही, जिस पर प्रतिवादी कम 1 से 3 काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण ने अपने हक व हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 338 में सिंचाई हेतु कुआ व ट्यूबवैल लगाकर आराजी का सुधार किया । वादी ने विवादित आराजी पर बैं से ऋण लिया जिसका इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज है । इस अंकन को हटाकर प्रतिवादी कम 2 बाबूलाल ने विवादित आराजी की जमाबंदी में कूट रचना कर धोखाधडी से 264000/– रूपये का ऋण प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी को भारमुक्त दर्ज करवा दिया तथा वादीगण को ऋण प्राप्त करने के हक से वंचित कर दिया । वादीगण विवादित आराजी में बाहमी बंटवारे में मिले 1/2 हिस्से का विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी हैं एवं अपने हक हिस्से में शांतिपूर्वक काश्त करने में व्यवधान न करने बाबत प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थायी आदेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं । धारा 80 सी पी सी के नोटिस की अवधि समाप्त हो गयी है । अतः अवैध एवं शून्य इंतकाल नम्बर 54 को निरस्त कर वादीगण को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद और प्रतिवादी कम 2 का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व प्रतिवादी नम्बर 2 का काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि

(भावना राजव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

T.C.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की है । ग्राम पीपल्दा में आराजी 15 किता रकबा 7.31 हेक्टंर स्थित है जो अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के संयुक्त खाते की पैतृक आराजी है । राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 व रेस्पोडेंट कम 7, 8 का 1/2 हिस्सा व अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 6 व रेस्पोडेंट नम्बर 9 बदी मृतक का 1/2 हिस्सा अंकित है । विवादित आराजी गणेशराम के खातेदारी की थी उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्रगण अमरा, किशनलाल व नैनगा के नाम बाट बराबर दर्ज हुई । सम्वत 2025 में नैनगा का देहान्त हो गया । नैनगा का पुत्र बाबूलाल मौजूद होना दर्ज है । उनके उपरान्त जमाबंदी सम्वत 2029–32 में नैनगा मृतक दर्ज किया गया तथा सम्वत 2033–36 में नैनगा का नाम जमाबंदी से खारिज करने का नोट लगाकर सम्वत 2038–57 व वर्तमान जमाबंदी में अमरा व किशनलाल का नाम अंकित किया । नैनगा लाऔलाद था तथा उसके बाबूलाल अपीलांट को उसके माता पिता की सहमति से गोद पुत्र हिन्दू रीति रिवाजख गिविंग एवं टेंकिंग की रस्म अदा करके गोद पुत्र रख लिया था । अपीलांट बहैसियत दत्तक पुत्र नैनगा परिवार में शामिल चला आ रहा है तथा कानूनन नैनगा के हिस्सा विवादित आराजी 1/3 में नैनगा की मृत्यु उपरान्त उसका दत्तक पुत्र होने की हैसियत से खातेदार काश्तकार है तथा हक हकूक उक्त विवादित आराजी में नैनगा के निहित थे । वह समस्त हक बाबूलाल अपीलांट को प्राप्त हो चुके हैं । नैनगा की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्सा 1/3 पर निर्बाध रूप से अपीलांट काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसमें अमरा व किशन लाल की भी सहमति रही है । अपीलांट ने गोद बाबत साक्ष्य भी प्रस्तुत की है तथा दस्तावेज़ राजस्व रेकार्ड व बैंक ऋण दस्तावेज, बिजली का बिल तथा राजस्व न्यायालय के फैसले में बाबू लाल पुत्र नैनगा दर्ज होना अंकित है जो फर्जी व बनावटी नहीं है तथा उक्त निर्णय दिनांक 31.05.1967 का है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के दस्तावेज व राजस्व रेकार्ड एवं प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

(मादन ... गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा शिविर

T.C.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विधि के सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2012 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट अपना पक्ष सिद्ध करने में असफल रहा हैं । नैनगा की मृत्यु काफी समय पूर्व हो गई थी । बाबू लाल के गोद पुत्र होने के साक्ष्य अपर्याप्त हैं । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

T.C.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
भावना राघव गुर्जर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बाबूलाल पुत्र श्री अमरा दत्तक पुत्र नैनगा, आयु 70 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1– कैलाश बाई पत्नी श्री बिहारी लाल, आयु 56 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
2– रामगोपाल पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 35 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
3– पप्पू पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 32 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
4– राम बहादुर पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 29 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
5– कालू लाल पुत्र श्री बिहारी लाल, आयु 26 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां अविवाहित फौत
6– नन्दकिशोर पुत्र श्री अमरा, आयु 60 साल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
7– कान्ती बाई पत्नी श्री मथुरा लाल पुत्री किशनलाल, आयु 45 साल, जाति मीणा, निवासी विनोदखुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा
8– बिरधी बाई पत्नी श्री भैरूलाल पुत्री किशनलाल, आयु 50 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू, जिला बारां
9– बद्रीलाल पुत्र श्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–
9/1– तोलाराम पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
9/2– हजारी लाल पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
9/3– दानमल पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
9/4– सुमित्रा पुत्री बद्रीलाल पत्नी श्री जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

T.C.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील नं. **320/2012** व नाराजगी डिक्री अदालत – **सहायक कलेक्टर बारां, जिला बारां**

मु.द.नं **65/2005** वर्ष **2005** निर्णय एवं डिक्री दिनांक **31–08–2012**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 11 माह **09** सन् **2019**

हाजरी **श्री बृजराज किशोर शर्मा** मिनजानिब अपीलांट व **श्री हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31-08-2012 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16** माह **09** सन् **2019** को जारी किया गया ।

मोहर

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

T. C.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)